अध्याय ।

राजस्व विभाग-सीमा शुल्क राजस्व

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋण के पुनः भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

₹ करोड़

क. कुल राजस्व प्राप्तियां	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*6,38,596*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*5,00,400*
iii. सहायता अनुदान और अंशदान सहित गैर - कर प्राप्तियां	*3,97,028*
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां	27,553
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	***55,83,092**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 3,18,230 करोड़ सम्मिलित है।	

स्रोत: वि. व. 2013-14 का केंद्रीय वित्त लेखा। आंकड़े अनंतिम हैं।

1.1.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 में वि.व. 2013-14 के लिए संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 55,83,092 करोड़[1] हैं। जिसमें से ₹ 11,38,996 करोड़ की कुल कर प्राप्तियों सहित इसका अपना स्रोत ₹ 15,36,024 करोड़ था।

1.2 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

अप्रत्यक्ष कर स्वयं को आपूर्त माल/सेवाओं के मूल्य से जोड़ते हैं और इस अर्थ में वे व्यक्ति-विशिष्ट के बजाय लेन-देन विशिष्ट होते हैं। संसद के अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

[1] स्रोत: वित्तीय वर्ष 2013-14 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अन्तरिम हैं। अन्य कर सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2013-14 के संघ वित्त लेखे से तैयार किए गए है।

क) सीमा शुल्क: सीमा शुल्क भारत में आयात हुए माल और भारत के बाहर निर्यातित निश्चित माल पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: शुल्क भारत में निर्माण अथवा उत्पाद हुए माल पर लगाया जाता है। संसद के पास मानवीय खपत के लिए पेय, अफीम, भांग एवं अन्य मादक औषधियां एवं मादक द्रव्य को छोड़ कर तम्बाकू और भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति है, लेकिन औषधीय एवं मद्य वाले प्रसाधन पदार्थ, अफीम आदि सम्मिलित हैं। (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)

ग) सेवाओं पर कर: सेवाकर, करयोग्य क्षेत्र के अंदर प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम की धारा 66 बी में प्रावधान है कि सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा, केवल उनको छोड़कर जिन्हें नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो, प्रदान किया गया हो अथवा करयोग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान करने पर सहमति दी गई हो और निर्धारित तरीके से संग्रहण किया गया हो। 'सेवा' को वित्त अधिनियम की धारा 65 बी(44) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए की गई कोई भी सकारात्मक गतिविधि (इसमें शामिल मदों के अलावा) और जिसे घोषित सेवायोग्य क्षेत्र में शामिल किया जाए (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर), सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नाम के दो सांविधिक बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष

एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करता है। सीमाशुल्क लगाने अथवा संचयन संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन/हवाला अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं खूफिया, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीईसी के पूरे संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 73,817[2] है (1 जुलाई 2014 तक)। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा वित्त मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट, 2014 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृति एवं संघटन

तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है। पिछले पांच वर्षों में जीडीपी[3] में अप्रत्यक्ष करों का शेयर लगभग 4 प्रतिशत था।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	44
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व. 14	5,00,400	1,13,55,073	4.20	11,38,996	42

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व.14 के आंकड़े अंतरिम हैं।

[2] एचआरडी महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े (1 जुलाई 2014 तक सी.शुल्क, के.उ. एवं सेवाकर)

[3] स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी फरवरी 2014 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े।

वित्तीय वर्ष 14 में जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता पिछले पाँच वर्षों में 4.3 प्रतिशत के औसत से कम थी। वि.व. 14 के कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का भाग पिछले पाँच वर्षों के औसत 43 प्रतिशत से कम था। इस अवधि में जीडीपी में 75 प्रतिशत की वृद्धि और सकल कर राजस्व में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने अप्रत्यक्ष करों में बहुत अधिक रेशनलाइजेशन और कटौती दर्शाया। जीडीपी वि.व. 10 में 64.78 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 113.55 लाख करोड़ हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 10 में 2.45 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 5 लाख करोड़ हो गया।

1.5 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि-प्रवृतियां और संरचना

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी में वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियां	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व. 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	83,324	1.29	13	34
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17	40
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	17	38
वि.व. 13	1,01,13,281	10,36,235	4,74,728	1,65,346	1.63	16	35
वि.व. 14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,72,033	1.52	15	34

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 14 आंकड़े अंतरिम हैं।

वि.व. 13 एवं वि.व. 14 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में वि.व. 10 में 34 से बढ़कर वि.व. 12 में 38 प्रतिशत हो गई, लेकिन वि.व. 14 में इसमें गिरावट आ गई। कुल कर की प्रतिशतता के रूप में भी सीमाशुल्क राजस्व वि.व. 11 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। जीडीपी के अनुपात में सीमाशुल्क राजस्व 1.6 प्रतिशत के औसत पर स्थिर रहा है।

1.6 वित्त वर्ष 10 से 14 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यात में वित्तीय वर्ष 13 में 11 प्रतिशत (₹ 1,68,380 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 के दौरान 17 प्रतिशत (₹ 2,70,692 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.4)।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	** %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन	% #
वि.व. 10	1363736	(-) 1	83324	(-) 17	4	845534	1	-518202	38
वि.व. 11	1683467	23	135813	63	5	1142922	35	-540545	32
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	4	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	4	1905011	17	-810423	30

स्रोतः ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग, **(आयात+निर्यात) % के रूप में सीमाशुल्क प्राप्तियाँ, # आयात की % में व्यापार असंतुलन

पिछले पांच वर्षों में आयात में (-)1 प्रतिशत (वि.व. 10) से 39 प्रतिशत (वि.वि. 12) उतार-चढ़ाव रहा। आयात में पिछले वर्ष के 14 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 3,23,699 करोड़) की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 46,272 करोड़) दर्ज की गई । पिछले पांच वर्षों में निर्यात में 1 प्रतिशत (वि.व. 10) से 35 प्रतिशत (वि.व. 11) के बीच उतार-चढ़ाव आया। पिछले पांच वर्षों में आयात वृद्धि और निर्यात वृद्धि में कोई तालमेल प्रतीत नहीं होता। व्यापार असंतुलन वि.व. 14 में न्यूनतम 30 प्रतिशत रहा जो वि.व. 10 और 13 में अधिकतम 38 प्रतिशत था। सर्वाधिक सीमाशुल्क दर घटने और 2009 के पश्चात् 10 प्रतिशत पर बने रहने के बाद पिछले पांच वर्षों में सीमाशुल्क प्राप्ति कुल व्यापार की 4 प्रतिशत पर बनी रही।

1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)[4] के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल हैं। जनवरी 2014 तक 864022 वैध आइईसी हैं। विदेश व्यापार प्रबंधन के लिए 414 आयात बंदरगाह हैं (93 ईडीआई, 67 गैर-ईडीआई, 60 मैन्युअल एवं 194 एसईजेड) एवं 362 निर्यात बंदरगाह (108 ईडीआई, 65 गैर ईडीआई, 40 मैनुअल

[4] आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

और 149 एसईजेड) हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 19.05 लाख करोड़ निर्यात एवं ₹ 27.15 लाख करोड़ आयात का लेन-देन किया गया था। अठारह व्यापार करारों[5] द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत, छोड़े गये राजस्व (₹ 3,49,405 करोड़) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ 1,72,033 करोड़) कर लेखापरीक्षा का आधार हैं।

1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

तालिका 1.5 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

(₹ करोड़)

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	शुल्क का उच्चतम दर
वि.व. 10	1363736	(-) 1	83324	(-) 17	10
वि.व. 11	1683467	23	135813	63	10
वि.व. 12	2345463	39	149328	10	10
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	10
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	10

स्रोत: संघ बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

वि.व. 14 के दौरान आयात के मूल्य में पिछले वर्ष 2 प्रतिशत (तालिका 1.5) की वृद्धि दर्ज की गई थी। वि.व. 14 में सीमाशुल्क राजस्व में वृद्धि 4 प्रतिशत थी। संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व में आयात मूल्य के साथ वृद्धि नहीं हुई।

1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास परिणामी ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)[6] नहीं हैं। निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को मापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग ऐसे जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) और पांच बड़े विभागों के साथ समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट तैयार करता है।

1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.6 बजट और संशोधित प्राकलन अर्थात् सीमाशुल्क प्राप्तियाँ दर्शाती है।

[5] (http://commerce.nic.in/trade/international)

[6] मंत्रिमंडल सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी तैयार करना अपेक्षित है।

तालिका 1.6: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमानों में अन्तर की %	वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की %
वि.व.10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1.36
वि.व.11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व.12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व.14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

बजट अनुमानों के वास्तविक संग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 14.98 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था, जैसाकि ऊपर तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 2.40 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 में सीमाशुल्क राजस्व में बीई, आरई और वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए (नवम्बर 2014):

i. आर्थिक मंदी (स्थिर सूचकांक जीडीपी में 2012-13 से 2013-14 में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई)।

ii. रूपये के संदर्भ में कुल आयात में 2011-12 से 2012-13 में 13.8 प्रतिशत की आयात वृद्धि के प्रति 2012-13 से 2013-14 में 1.73 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

iii. 2012-13 से 2013-14 में गैर-तेल आयात में रूपये के संदर्भ में गिरावट दर्ज की गई।

यह सभी कारण पिछले कुछ वर्षों से थे और बीई तैयार करने से पूर्व ज्ञात थे एवं उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा सीमा शुल्क राजस्व

केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें ''प्रभावी दरों'' के रूप में जानी जाती हैं।

इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व* = *मूल्य* x *(शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोडा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोडा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	छोड़ा गया राजस्व सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व.10	83324	233950	2309	9219	245478	295
वि.व.11	135813	230131	3474	9001	242606	179
वि.व.12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व.13	165346	298094	3031	17355	318480	193
वि.व.14	172033	326365	4501	18539	349405	203

स्रोत: संघ प्राप्तियाँ बजट, सीबीइसी डीडीएम, सीबीइसी

पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़े गए राजस्व में 179 प्रतिशत से 295 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 87 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, खाद्य तेल तथा अनाज, मशीनरी, वस्त्र एवं रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित				₹करोड़
	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14
1. शुल्क फिरती (सेज को छोड़कर)	9219	9001	12331	17422	21799
2. अग्रिम लाइसेंस	10089	19355	18306	18971	20956
3. ईपीसीजी	7020	10621	9672	11218	8990
4. केंद्रित उत्पाद योजना (एफपीएस)	396	1209	3056	4579	7640
5. सेज	4019	8668	4567	4503	6206
6. अन्य *	21863	22174	20564	15649	17261
कुल	52606	71028	68496	72342	82852
सीमाशुल्क प्राप्तियों की %	**63**	**52**	**46**	**43**	**48**

*अन्य में ईओयू/ईएचटी/एसटीपी, डीएफआईए योजनायें, एफएमएस, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), टारगेट प्लस योजना, स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिपयोजना (एसएचआईएस), भारत सेवित योजना (एसएफआईएस), डीईपीबी (सेज़ को छोड़कर), डीएफईसीसी योजना, डीएफआरसी इत्यादि।

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 14 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व का 48 प्रतिशत था (तालिका 1.8)।

वित्तीय वर्ष 10 से वि.व. 14 (तालिका 1.8) के बीच योजनागत परित्यक्त शुल्क 63 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के बीच था। वि.व. 14 के दौरान शीर्ष पांच योजनाओं जिन पर शुल्क छोड़ा गया वे शुल्क फिरती योजना, अग्रिम लाइसेंस योजना, ईपीसीजी, केंद्रित उत्पाद योजना और सेज़ थीं। योजनाओं के अंतर्गत इन पांच योजनाओं में कुल छोड़े गए शुल्क की गणना 79 प्रतिशत की गई। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का परिणामी राजस्व निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.12 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन

महानिदेशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया जो संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर का) क्षमता निर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और 73,817 की संख्या (1 जुलाई 2014 तक) वाले एक मजबूत कार्यबल संरचनात्मक डिवीजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका निभाता है। 2013 में संवर्ग पुनर्गठन के पश्चात, मंत्रालय द्वारा कुल 18067 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई (दिसम्बर

2013) जिसमें प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त के 490 पद शामिल थे ताकि:

क. अप्रत्यक्ष कर में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि की जा सके;

ख. सभी पत्तनों और लेन-देन को शामिल करने वाला एक मजबूत आरएमएस हो;

ग. अधिकारी एवं कर्मचारी आईसीईएस का प्रयोग करने में सक्षम हों;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ और मजबूत हों।

सीबीईसी के आरएफडी वि.व. 14 में उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियों को पहले ही शामिल किया गया है। स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, आईसीईसी का प्रयोग करने के मामले में सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को मापन और सफलता सूचकों के साथ नहीं जोड़ा गया। सीमाशुल्क अन्य कर और सरकार की विदेशी नीतियों से जुड़ा है, उपयुक्त कौशल को बढ़ाने और क्षमता कमियों को दूर करने के पश्चात् मानव संसाधनो के पुनर्गठन एवं पुनर्आवंटन को सैद्धांतिक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है।

कई अनुस्मारकों के बावजूद भी सीबीईसी ने वि.व. 14 के दौरान अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताया।

1.13 बकाया सीमाशुल्क

तालिका 1.9 मार्च 2014 तक मांगे गए लेकिन वि.व. 14 की समाप्ति तक विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए सीमाशुल्क का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.9: सीमा शुल्क की बकाया राशि

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद	2896	79	45	3020	101	495	234	830	3850
मुंबई III	1008	229	57	1294	897	38	25	960	2254

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
बैंग्लोर	938	148	5	1091	476	14	12	502	1593
दिल्ली	987	209	68	1264	191	66	55	312	1576
मुंबई।	378	358	29	765	157	271	212	640	1405
चेन्नई	567	117	38	722	207	232	29	468	1190
दिल्ली नि.	763	2	1	766	270	24	7	301	1067
उप जोड़	7537	1142	243	8922	2299	1140	574	4013	12935
अन्य	2166	748	186	3100	1022	678	251	1951	5051
कुल योग	**9703**	**1890**	**429**	**12022**	**3321**	**1818**	**825**	**5964**	**17986**
%									**71.91%**

स्रोतः मुख्य आयुक्त, बकाया कर वसूली, केंद्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवाकर

मार्च 2014 तक मांगे गये ₹ 17,986 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व विभाग द्वारा वि.व. 14 की समाप्ति तक नहीं वसूला गया था (तालिका 1.9)। जिसमें से ₹ 5,964 करोड़ गैर-विवादित था। जबकि गैर-विवादित राशि में से ₹ 2,643 करोड़ (कुल बकाये का 15%) की राशि पांच वर्षों के बाद भी नहीं वसूली गई। वि.व. 14 के दौरान कुल लंबित बकाये में शीर्ष सात क्षेत्रों में सीमाशुल्क राजस्व बकाया 72 प्रतिशत था। विभाग की वसूली तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

1.14 रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और एंटी सब्सिडी उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए ''गम्भीर क्षति'' अथवा ''गम्भीर क्षति की संभावना'' की जांच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान महानिदेशक, रक्षोपाय ने 28 जांच की जिन्हें तालिका 1.10 में दर्शाया गया है। रक्षोपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकती हैं।

तालिका 1.10 रक्षा महानिदेशक द्वारा की गई जांच

	वि.व.12	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15
चालू मामलों की संख्या	2	2	4	11
क्रियाशील एसजी की संख्या	3	3	5	3
सम्मिलित सामग्रियों के नाम (*)	(a) एन1, 3-डाईमिथाइल ब्यूटाइल एन' फिनाइलिन डाईअमीन (b) अल्मूनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों और फॉइल 7606 एवं 7607 (समीक्षा)	(क) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बन ब्लैक	(क) डाइऑक्टाइल फ्थैलेट (डीओपी) (ख) 8 लैक्ट्रिकल इन्सुलेटर (ग) हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और स्टेनलैस स्टील 304 ग्रेड (घ) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (समीक्षा)	(क) सोडियम नाइट्रेट (ख) सीमलेस पाइप, ट्यूब और आयरन या गैर अयस्क इस्पात का हॉलो प्रोफाइल (ग) मेथिल एक्टोएसिटेट (घ) रबर केमिकल्स एन-1, 3 – डाईमेशिल ब्यूटिल एन फिनाइलीनडयमीन (6 पीपीडी) (ड.) फैटी एल्कोहल (च) सोडियम साइट्रेट

*स्रोतः रक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीयउत्पाद शुल्क

1.15 एन्टी डम्पिंग शुल्क

महानिदेशक एंटी-डपिंग ने प्रथम एंटी-डपिंग जांच 1992 में प्रारम्भ किया था। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जांच प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। वि.व. 12 से वि.व. 14 के दौरान 92 मामलों में एन्टी-डम्पिंग जांच प्रारम्भ की गई और 31 देशों को शामिल करते हुए 109 मामलों को निपटाया गया।

चीन, पीआर, ईयू, चाइनेज ताईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि एन्टी-डम्पिंग शुल्क जांच में प्रमुख देश हैं।

मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है वे पीवीसी रेजिन, केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्ता वस्तुएं है। उपचारात्मक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाममात्र है। शुल्क, कुल सीमाशुल्क का नगण्य (वर्ष 2014 में 0.020 प्रतिशत) भाग बनता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्तमान अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

सुरक्षोपाय, एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग द्वारा संग्रही कुल शुल्क की गणना राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है।

1.16 वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 तक संग्रहण मूल्य

तालिका 1.11 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षीय वित्तीय अवधि हेतु संग्रहण दर्शाती है।

तालिका: 1.11: वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 14 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.10	304	1218	10	1532	83324	1.84
वि.व.11	293	1421	5	1719	135813	1.27
वि.व.12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व.13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व.14*	333	1804	5	2143	172033	1.25

स्रोत: वित्त लेखों से अनंतिम आंकड़े

वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान प्राप्तियों, संग्रहण के मूल्य के संदर्भ में व्यक्त प्रतिशतता 1 से 2 के बीच थी (तालिका 1.12)। स्वचालन और आईटीसी के व्यापक उपयोग के बावजूद वि.व. 13 की तुलना में वि.व. 14 में संग्रहण मूल्य में वृद्धि हुई। सीबीईसी ने लेखापरीक्षा को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं कराया थी।

1.17 कर लेखांकन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

1.17.1 2011-14 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए पीसीसीए, पीएओज, सीमाशुल्क आयुक्तलयों के कार्यालयों तथा उनके सहायक क्षेत्रीय कार्यालयों में कर लेखांकन, नियंत्रणों तथा समाधान की लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रणाली कुछ कमियों से ग्रस्ति थी। निम्नलिखित मामले देखे गए:

- 2011-14 की अवधि के लिए पीएओ (सीमाशुल्क), नई दिल्ली, कोलकाता, काण्डला, तिरूचिरापल्ली, चेन्नै एवं तूतीकोरीन में संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में आन्तरिक लेखापरीक्षा की कमी।
- 2011-14 की अवधि के लिए पीएओ आंकड़ो के साथ 9 आयुक्तलयों[7] द्वारा संग्रहित राजस्व का गैर। अतः, आयुक्तालयों से संबंधित ₹ 1,07,875 करोड़ की कुल सीमाशुल्क प्राप्ति तथा 3 आयुक्तालयों[8] के संबंध में ₹ 8,652 करोड़ राशि के फिरती को नहीं किया गया था।
- ई-पीएओ (सीमाशुल्क), दिल्ली में (मार्च 2014) सीमा शुल्क के लिए बैंक डाटा के साथ आइसगेट डाटा का मिलान ना होने के 7853 मामले (₹ 538.16 करोड़) थे। इसी प्रकार बैंक में 8464 मामले (₹ 628.37 करोड़) आईसगेट डाटा से मेल नहीं खाते।
- पीएओ हैदराबाद, गाजियाबाद, कोचीन, काण्डला में बैंको ने सरकारी खाते से आहरण किया था परन्तु संव्यवहार विफलता के कारण 1 से 82 दिनों तक फिरती का भुगतान नहीं किया था। अथवा निर्यातकों को वास्तविक भुगतान के बिना ही सरकारी खाते से विभिन्न राशियाँ आहरित की गई थीं। सीमाशुल्क आयुक्तालय, काण्डला में सीमाशुल्क विभाग को बैंकर के चैक के माध्यम से लौटाई गई वितरित ना की गई राशि 40 से 1568 दिनों की अवधि तक सीमा शुल्क के पास थी। समान रूप से, पीएओ कोचीन में, फिरती भुगतान के मामले देखे गए थे जो ना तो निर्यातको को भुगतान किये गए थे एवं ना ही वापस सरकारी खाते में डाले गए थे। पीसीसीए ने लेखापरीक्षा को अपने उत्तर में विभाग को ऐसी राशि सरकारी खाते में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था (पीएओ काण्डला, कोचीन, अक्तूबर 2014)।
- पीएओज अहमदाबाद/कोचीन में 2011-14 के दौरान विभिन्न लेखांकन शीर्षकों के तहत शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक उच्चतर शिक्षा उपकर का गलत वर्गीकरण देखा गया था।

[7] काण्डला , कोलकाता (निरोधक सीमा शुल्क), कोलकाता (पत्तन तथा हवाई अड्डा), दिल्ली (सी.शु.), अमृतसर, चैन्नई (सी.शु.), कोचीन (सीमाशुल्क), तिरूपति एवं तूतीकोरिन

[8] कोलकाता (निरोधक सीमाशुल्क), दिल्ली पीएओ (सीमाशुल्क) तथा काण्डला

- पीसीसीए नई दिल्ली में, ₹ 223.26 करोड़ (2013-14) की एक राशि उच्चयंत खाते के तहत बुक की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्तियॉं कम बताई गई। पीसीसीए ने बताया (अक्तूबर, 2014) कि इन राशि में वर्ष 2014-15 का ₹ 144.13 करोड़ के अग्रिमभुगतान की प्राप्ति शामिल है। ₹ 79.13 करोड़ का बकाया शेष पिछले वर्षों से संबंधित है।
- चार पीएओज/ई-पीएओज[9] में सीएएस, आरबीआइ नागपुर द्वारा तैयार किये गए तिथि वार मासिक विवरण (डीएमएस) तथ पुट-थ्रो वितरण (पीटीएस) के बीच अन्तर देखा गया था। सीमाशुल्क प्राप्तियों के लिए, यह अन्तर ₹ 11.66 करोड़ की राशि का था (₹ 4.80 करोड़ अधिक डीएमएस में पीटीएस में ₹ 6.86 करोड़ अधिक)। सीमाशुल्क प्रतिदाय/ फिरती के लिए अन्तर ₹ 1.03 करोड़ राशि का देखा गया था (डीएमएस में ₹ 30.82 लाख अधिक तथा पीटीएस ₹ 71.68 में लाख अधिक)।
- पेट्रोपोल निरोधक इकाई, कोलकाता सीमा शुल्क आयुक्तालय में नकद बही 2014 का अनुरक्षण ना करने के परिणामस्वरूप चालान के माध्यम से संग्रहीत राशि तथा मुख्य आयुक्त (निरोधक), पश्चिम बंगाल को सूचित किये गए आंकड़े का समाधान नहीं हुआ। समान रूप से, पीएओ काण्डला, दिल्ली, अमृतसर तथ कोलकाता में 2011-14 की अवधि के लिए बैंक स्क्राल तथा गुम हो गए चालानों का रजिस्टर नहीं बनाया गया था। इन रजिस्टरों का अनुरक्षण का करना कमजोर आन्तरिक नियंत्रणों को दर्शाता हैं।

1.17.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक, लेखा (प्रधान सीसीए), सीबीईसी द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्रधान सीसीए की

[9] कोलकाता, तिरूपति, ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली तथा कोचीन

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ ₹ 145607.24 करोड़[10] के कुल मूल्य सहित 10 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं का लम्बन दर्शाया।

प्रधान सीसीए की लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व.14 तक स्थापना लेखापरीक्षा के अलावा निम्नांकित अनियमितताएं शामिल हैं:

क. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पक्षकारों/स्वायत्त निकायों से बकाया ₹ 67888.61 करोड़ की वसूली न करना।

ख. हानि/निष्फल व्यय, ₹ 59537.46 करोड़।

ग. सरकारी धन ₹ 1835.97 करोड़ की ब्लॉकिंग।

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके जोखिम निर्धारण के अनुरूप नियंत्रण आधारित आश्वासन नहीं प्रदान करता। प्रधान सीसीए द्वारा किए गए लेखांकन की लेखापरीक्षा पर सीएजी की रिपोर्ट वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत की जाएगी।

1.18 डीजी (ऑडिट), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

सीमाशुल्क विभाग को 1994 में आईसीएस शुरू करके कम्प्यूटरीकृत किया गया जिसे बाद में आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया। इस प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि जैसे कारकों की पहचान करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की गई है। कम्प्यूटराइजेशन से आयातित और निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार और कर की उचित गणना, टैरिफ की आवेदन, छूट अधिसूचना का आवेदन, सामान्यत: माल के गैर वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना अपेक्षित है।

तालिका 1.12: वि.व.11 से वि.व.14 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.11	323399	548	447	0.40	82	0.32
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31

[10] (प्रधान मुख्य नियंत्रक दिनांक 3 नवम्बर, 2014 पत्र डीओ संख्या, आईए/एनजेड/ एचक्यू/सीएजी आईएनएफओ/2014-15/616)।

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13

स्रोत: लेखापरीक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। उपरोक्त तालिका 1.12 वि.व.12 से वि.व.14 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है। पता लगाया गया/उगाया गया शुल्क, सीमा शुल्क राशि प्राप्तियों की प्रतिशतता थी।

1.19 सीमाशुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सुविधा उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सुविधा उपाय है जो उत्पाद और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप में सीमाशुल्क द्वारा आयातित/निर्यात माल की निकासी हेतु लिए जाने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी करेगा। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई की शुरूआत से आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित अत्यवस्थित रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मलित है। आयात और निर्यात कार्गों की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को निरंतर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुविधा हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृत को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रदत्त 4 % एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के

हस्तगत पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया, किंतु वह सरलीकरण उपायों अथवा लेन-देन मल्यों में बचत से सहसंबंधित नहीं किया गया। यह देखा गया कि आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी सीमाशुल्क लेन-देन पर नहीं लागू था।

1.20 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्यी गई और सभी एयर कार्गो, सुमुद्री बंदरगाहों, भू-पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-ईडीआई बंदरगाह और एवं इडीआई बंदरगाह में सभी फिलिंग शामिल नहीं है। 13 आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात और निर्यात लेन-देन की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 14 के दौरान आयात लेन-देन की संख्या तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन की संख्या	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14
आयात	16,31,287	12,52,001	12,52,001#	16,21,734# (23.24 %)
निर्यात	-	-	3007	3,20,047# (03.80 %)
कुल लेन-देन (आयात)		62,36,748	65,61,921*	69,15,958*
कुल लेन-देन (निर्यात)		67,81,392	74,60,630*	84,11,542*

स्रोत: #जोखिम प्रबंधन डिवीजन, डीआरआई सीबीईसी, *डीजीसीआईएण्डएस, एओसी और इंडस्ट्री, भारत सरकार

निर्यात में आरएमएस जुलाई 2013 में शुरू किया गया और वि.व. 14 में कुल ₹ 84.11 लाख कुल निर्यात् लेन-देन के प्रति ₹ 3.20 लाख (3.80%) को चिह्नित किया गया।

1.21 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रस्तावना के पश्चात्, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से धीरे कर दी, जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नही हुई थी। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान, 483 नियोजित लेखापरीक्षा में से, ओएसपीसीए के अंतर्गत 226 ईकाई संचालित की गई जिनके परिणामस्वरूप ₹ 55.85 करोड़ की कम वसूली का पता लगा जिसमें से ₹ 5.95 करोड़ (10.65 प्रतिशत) की वसूली की गई।

1.22 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ मे ज्ञात एयर कार्गों परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बैंगलोर) एवं बंदरगाह (कांदला, जेएनपीटी, चेन्नई, बैंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टफ्ड एक्सपोर्ट, कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कार्यक्षेत्र चार ऐयर कार्गो परिसरों तक निर्यात परेषण को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए 24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रहीं 13 संचालित एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं (मई 2013)। यह सुविधा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बैंग्लोर जैसे विमानपत्तनों तक बढ़ा दी गई है।

1.23 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एकल विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ सीबीईसी के प्रमुख एजेंसी होने की वजह से इसकी परिकल्पना की गई थी।

सीमा शुल्क में एकल विंडो का उद्देश्य व्यापारियों को इलैक्ट्रोनिकली सामान्य घोषणा फाईल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व निकासी/इनपुट पाने के लिए इलैक्ट्रॉनिकली प्रेषित किया जाता है।

1.24 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

1.25 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर, सीबीईसी संघ सरकार लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर के साथ-साथ अन्य हितधारकों के रिर्पोटों का प्रयोग किया गया। महानिदशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने वि.व. 14 में 415 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 15050 लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की। कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा डाटा डायरेक्टरी के अनुसार 2013-14 में आयात एवं निर्यात हेतु आईसीईएस 1.5 की लेन-देन स्तर की तिथि नहीं बताई गई।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा मार्च 2013 को उसकी स्थिति का विवरण तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका सं. 1.14: अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	2	-
2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	1	-
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20		-	1	-
2009-10 का सीए 14		-	2	-
2010-11 का सीए 24		-	2	-
2011-12 का सीए 31	-		3	3
2013 का सीए 14		2	-	-
2013 का सीए 14	1	47	-	7
कुल	**1**	**49**	**11**	**10**

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग

वर्तमान रिपोर्ट में 150 पैराग्राफ और ₹ 2428 करोड़ के चार लंबे विषयगत पैराग्राफ हैं। इसमें सामान्यत: छः प्रकार की आपत्तियाँ थीं: गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत लागूकरण; अधिसूचना की शर्तें न पूरा करना; गलत वर्गीकरण के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट; सैद्धांतिक मुद्दों और नीति निर्धारण मामलों के अलावा सीमाशुल्क का गलत निर्धारण। कारण बताओ नोटिस का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय/विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी करके ₹ 38.90 करोड़ मूल्य वाले 92 पैराग्राफों **(अनुबंध 1)** के मामले में पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई की है और कुछ मामलों में वसूली की सूचना दी है।

1.26 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस वर्ष हमने "सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात एवं निर्यात व्यापार सुविधा" तथा '100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों' पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल किया। योजना/ संस्थानों/प्रक्रियाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा लेखांकन मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश; 2014 के आधार पर पेशेवरों द्वारा की गई।

1.27 लोक लेखा समिति (पीएसी)

लोक लेखा समिति ने 'आईसीईएस 1.5', एसईजेड और 'नार्कोटिक्स पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)', जब्त और अधिदत्त सामानों के निपटान तथा सार्वजनिक एवं निजी बांड वाले वेयरहाउस की जाँच/चर्चा हेतु तीन लंबे पैराग्राफों की निष्पादन समीक्षा की। पीएसी की अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। इसमें अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त जांच भी देखा गया है।

1.28 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 4533 करोड़ के 656 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.15)।

तालिका 1.15: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

₹ करोड़

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 10	124	80	102	33	16	4	118	37	63	18	3	0	66	18

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 11	118	131	102	99	29	18	131	116	56	18	3	4	59	22
वि.व. 12	121	62	108	48	14	11	122	59	79	30	9	1	88	31
वि.व. 13	139	1832	100	66	0	0	100	66	63	18	4	5	67	22
वि.व. 14	154	2428	104	42	-	-	104	42	65	16	-		65	16
जोड़	656	4533	516	288	59	33	575	320	326	99	19	11	345	109

स्रोतः सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सरकार ने ₹ 320 करोड़ वाले 575 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ को मान लिया और ₹ 109 करोड़ की वसूली की।